

24-2-21

वाहीगण के अधिकार एवं वाहीगण उपस्थित नहीं  
आए हैं अदालत उठने तक कार वार आवाजे  
लगवाई गई परन्तु उनमें और से कोई  
अदालत उपस्थित नहीं आए अतः एकल अदम  
पैरकी अदम हाजिरी से जारी किया जाता है  
मिसल केसल शुमार होकर नम्बर से कम है।  
बाद दफ्तर दाखिल हो।

(मोहनलाल खटनावलिबा)  
उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर) राज.

